

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने वह नकशा देखा नहीं है। अतः उस नकशे में क्या है बड़ मेरे लिये बताना कठिन है।

पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर मुसलमानों का कथित जमा होना

†श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर): नियम १६७ के अधीन मैं प्रधान मंत्री का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान सीमान्त पर मुसलमानों के बड़े पैमाने पर जमा होने के सम्बन्ध में आकाषित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): माल्दा में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई थीं जिनका पाकिस्तान के तथा कुछ अन्य विदेशी समाचार-पत्रों में बहुत बड़ा चढ़ा कर वृत्तान्त प्रकाशित हुआ है। वहाँ वास्तव में क्या हुआ उस बारे में संक्षेप में बताना तो मुश्किल है। किन्तु फिर भी हम सारे तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु फिर भी मृतकों, घायलों तथा माल्दा छोड़ कर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ा चढ़ा कर बताई गई है।

ढाका और राजशाही में भी कुछ मार काट और लूट की घटनायें हुई। असली आंकड़े पाना तो बड़ा कठिन है क्योंकि एक ओर तो बड़ा चढ़ा कर संख्या बताई जा रही हैं तथा दूसरी ओर उनकी संख्या घट कर बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम बड़ा चढ़ा कर कोई बात नहीं कहना चाहते। हम सही आंकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक पूरी जानकारी हमें नहीं मालूम हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते।

समितियों के लिये निर्वाचन

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

“कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के दिनांक १७ सितम्बर, १९५५ के संकल्प संख्या एफ ४-१३/५३—क्रम—२ द्वारा संशोधित भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक २८ मई, १९३६ के संकल्प संख्या एफ० २५४/३४-ए के पैराग्राफ ३ के खण्ड (६) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निर्देश दें, भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।

†अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है:

“कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के दिनांक १७ दिसम्बर, १९५५ के संकल्प संख्या एफ ४-१३/५३—क्रम—२ द्वारा संशोधित भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के दिनांक २८ मई, १९३६ के संकल्प संख्या एफ० २५४/३४-ए के पैराग्राफ ३ के खण्ड (६) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निर्देश दें, भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए अपने में से दो सदस्य चुनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।